रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 1993/भाद्र 5, 1915
No. 506] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 1993/BHADRA 5, 1915

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1993

का. आ. 641 (अ).— विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 10 दिसम्बर, 1992 की अधिसूचना स.का.आ. 905(अ) में एतद्द्वारा संशोधन करती है, और मध्य प्रदेश राज्य में प्रत्येक राजस्व डिवीजन के आयुक्तों को उक्त अधिनियम

के अधीन मध्य प्रदेश राज्य में किसी न्यायालय द्वारा विचारणीय तथा उक्त अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के बारे में अभियोजन की मंजूरी देने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत करती है ।

[फा.सं. II/12034/2/92-आई.एस. (डी-V)]

टी.एन. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1993

S.O. 641(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 905(E), dated the 10th December, 1992 published in the Gazette of India, Part II—Section 3, Sub-Section (ii), and also authorises the Commissioners of each Revenue Division in the State of Madhya Pradesh, to exercise the powers to sanction prosecution in respect of offences punishable under the said Act triable by a court in the State of Madhya Pradesh.

[F. No. II/12034/2/92-IS(DV)]

T. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993